



Since 1966
ISO 9001:2015
Certified

उज्ज्वल भविष्य
की ओर
बढ़ते कदम



Estd. 1966

A.K.P. DEGREE COLLEGE, KHURJA

CELEBRATING DIAMOND JUBILEE WITH WOMEN EDUCATION PAR EXCELLENCE

KHURJA (Bulandshahr)
Affiliated to CCS University, Meerut
NAAC A++ University



Since 1966

College Code 043

ए.के.पी. डिग्री कॉलेज, खुरजा

(सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ)

www.akppgcollegekhurja.in

बी.ए. संचालित विषय

- हिन्दी • अर्थ शास्त्र • अंग्रेजी • लाइब्रेरी साइंस • मनोविज्ञान
- संगीत(गायन) • इतिहास • राजनीति विज्ञान • संस्कृत • शारीरिक शिक्षा • गृह विज्ञान (स्वचित्त पोषित)

एम.ए. संचालित विषय

- हिन्दी • राजनीति विज्ञान (स्वचित्त पोषित)

पी.एच.डी. संचालित विषय

- हिन्दी • अर्थ शास्त्र • राजनीति विज्ञान • इतिहास • शारीरिक शिक्षा

प्रवेश के लिये संपर्क सूत्र : 7055617842/43





Since 1966

ISO 9001:2015
Certified

अनुक्रमिका

क्रम सं०	विवरण	पृष्ठ सं०
1	ए.के.पी. डिग्री कॉलेज, खुरजा संक्षिप्त परिचय	2
2	उपलब्ध पाठ्यक्रम	3-4
3	महाविद्यालय की शिक्षिकागण	5
4	महाविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारी	6
5	प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश	7-8
6	प्रवेश समितियाँ	8
7	छात्रायोपयोगी उपलब्ध सुविधायें	9-10
8	प्रवेश के नियम	11
9	शुल्क तालिका	20
10	प्रवेश आवेदन पत्र	

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय के नियमों में यदि कोई परिवर्तन, संशोधन या परिवर्द्धन होता है तो पूर्व नियमों के अतिरिक्त उन उप-नियमों को भी कार्यान्वित किया जायेगा, जो सभी के लिये मान्य होगा।

महाविद्यालय सम्बन्धी समस्त सूचनाओं के लिये महाविद्यालय की
वेबसाईट : www.akppgcollegekhurja.in का अवलोकन करते रहें।

ए.के.पी. डिग्री कॉलेज, खुरजा

संक्षिप्त परिचय

गर्व का विषय है कि ए0के0पी0 डिग्री कॉलेज अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर डायमण्ड जुबली मना रहा है। कॉलेज की स्थापना 12 अगस्त 1966 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल के बुलन्दशहर जिले का यह एक मात्र महिला महाविद्यालय है जहाँ स्नातकोत्तर अध्ययन व शोध की सुविधा उपलब्ध है।

यह कॉलेज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध एक अग्रणी महिला महाविद्यालय है। जहाँ भाषा, मानविकी, ललित कला के 11 विषयों में स्नातक स्तर पर तथा हिन्दी व राजनीति विज्ञान (स्ववित्त पोषित) विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाती है। कॉलेज में अब पाँच विषयों हिन्दी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र व शारीरिक शिक्षा विषय में शोध सुविधा उपलब्ध है तथा संस्कृत व मनोविज्ञान में शोध पर्यवेक्षक उपलब्ध है। वर्तमान में 12 शोधार्थी शोध कार्य कर रहे हैं।

कॉलेज का वर्तमान मुख्य परिसर 3.1 एकड़ भूमि में स्थित है जिसमें अध्ययन क्षेत्र, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय हॉल, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रशासनिक भवन, स्मार्ट कक्षा कौशल विकास केन्द्र, आई0टी0 सेन्टर आई0आई0सी सेल, मेडिकल कक्ष, कम्प्यूटर लैब, छात्रा कॉमन रूम आदि उपलब्ध हैं। कॉलेज में अध्ययन हेतु 02 स्मार्ट कक्ष भी बनाये गये हैं। कॉलेज में एक विशाल क्रीड़ा स्थल, ओपन जिम व रिक्रिएशन सेन्टर भी है। जिसमें छात्राएँ इंडोर व आउटडोर गेम्स जैसे—क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, कैरम, चैस आदि खेल खेलती हैं व व्यायाम भी करती हैं। महाविद्यालय भारत के परम्परागत खेलों को भी बढ़ावा देता है व उनसे सम्बन्धित प्रतियोगिताएँ भी आयोजित करता है।

महाविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर NEP 2020 लागू है। इस समय महाविद्यालय में 18 कौशल विकास कोर्स, 4 स्वरोजगार के कोर्स भी चल रहे हैं। सत्र 2024–25 से प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे— IAS/UPSC, NET/JRF की निःशुल्क कोचिंग निरन्तर चल रही हैं। कॉलेज में एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें वर्तमान में 2338 पुस्तकें तथा कई विषयों में शोध पत्रिकाएँ व प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित पत्रिकाएँ भी उपलब्ध हैं। निर्धन छात्राओं के लिए एक बुक बैंक भी महाविद्यालय में उपलब्ध है।

इस संस्था का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल में नारी शिक्षा का विकास कर समाज व देश के लिए ऐसे नागरिक तैयार करना है जो न केवल शिक्षित हो बल्कि स्वावलम्बी भी हो व अपने निर्णय स्वयं ले सके। इसके लिए कॉलेज न केवल उन्हें केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देता है। बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास के लिये कौशल विकास के लिए विभिन्न कोर्स, स्वरोजगार कोर्सेज व वैल्यू एडेड कोर्सेज भी चलाता है। कॉलेज ने विभिन्न संस्थानों जैसे LNJP Gwalior, IITM CONFAB 360, संस्कृत भारती आदि से MOUs कर रखे हैं।

अपने सामाजिक दायित्व कार्यक्रम निर्वहन के अन्तर्गत महाविद्यालय ने उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत खुर्जा ब्लॉक के पाँच गाँवों को गोद ले रखा है। इनके विकास के लिये व वहाँ के निवासियों के रोजगार संवर्धन के लिये महाविद्यालय विभिन्न कार्यक्रम चलाता है। इसके अतिरिक्त अपनी Alumni छात्राओं के लिए भी महाविद्यालय समय—समय पर रोजगार कार्यक्रम चलाता रहता है।

उपलब्ध पाठ्यक्रम

1. पी0एच0डी0 : (हिन्दी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा विज्ञान, इतिहास)
2. एम0ए0 : हिन्दी, राजनीति विज्ञान, (स्ववित्त पोषित)
3. बी0ए0— पाठ्य विषय

- | | | |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| 1. हिन्दी | 5. राजनीति विज्ञान | 9. शारीरिक शिक्षा |
| 2. संस्कृत | 6. इतिहास | 10. पुस्तकालय विज्ञान |
| 3. अंग्रेजी | 7. मनोविज्ञान | 11. गृहविज्ञान |
| 4. अर्थशास्त्र | 8. संगीत—गायन | (स्ववित्त पोषित) |

नोट : BA NEP 2020 प्रथम सेमेस्टर में छात्राओं को दो मेजर वह एक माइनर विषय का चयन करना होगा। छात्राएं माइनर विषय के रूप में महाविद्यालय में संचालित अपने संकाय अथवा अन्य संकाय में संचालित अन्य मेजर विषय का चयन माइनर के रूप में कर सकेंगे।

नोट:— निम्न समूह में से केवल एक विषय लिया जा सकेगा।

1. संस्कृत / मनोविज्ञान
2. गृहविज्ञान / शारीरिक शिक्षा विज्ञान

NEP के अन्तर्गत उपलब्ध संकाय की तालिका :—

1. भाषा संकाय : हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत

2. कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

1. अर्थशास्त्र
2. इतिहास
3. राजनीति शास्त्र
4. मनोविज्ञान
5. पुस्तकालय विज्ञान
6. गृहविज्ञान (स्ववित्तपोषित)

3. ललित कला एवं प्रदर्शन कला

1. संगीत गायन

4. शिक्षा संकाय : शारीरिक शिक्षा

गौण विषय — सभी विषयों में केवल प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के साथ एक ही विषय में दोनो वर्ष लेना अनिवार्य हैं।

अनिवार्य सहगामी विषय :-

प्रत्येक सेमेस्टर में लेना हैं।

सेमेस्टर-1	First Aid & Basic Health
सेमेस्टर-2	Human Values & Environmental Studies
सेमेस्टर-3	Physical Education & Yoga
सेमेस्टर-4	Indian Language
	or
	Social Responsibility & community engagement programme
सेमेस्टर-5	Analytical Ability & Digital Awareness
सेमेस्टर-6	Communication Skills and Personality Development

कौशल विकास पाठ्यक्रम :-

केवल 3 सेमेस्टर में लेना हैं।

For B.A. Ist Semester:

1. Certificate Course in computer
2. The Apparel Designing
3. Yoga and Correctives
4. Social Work
5. Patrakarita
6. Communication Skills and Personality Development
7. Yoga Aayurveda Varnachhar
8. Food Preservation
9. Moocs (Online courses)

For B.A. II Semester:

1. Sanskrit Sambhashnam
2. Life skill & value education
3. Population & environmental education
4. Tourism & cultural Heritage
5. Hindi Patrakarita (Print media)
6. Hospitality management

For B.A. III Semester:

1. Computer.
2. Self employed tailoring.
3. Beauty & Wellness.
4. Applied Research.
5. Stress Management.
6. Yoga
7. Food processing.

Value Aided Courses:

1. In ceremics with CGCRI & MSME

Self Employed Courses: with RSETI

Minor Research Project (लघु शोध प्रोजेक्ट): 5वें सेमेस्टर में लेना है जिसका मूल्यांकन 6 सेमेस्टर मे होगा।

LIST OF FACULTY MEMBERS

Prof. Dimpal Vij (Principal)

1. **Economics Department**

1. Post Vacant

2. **English Department**

1. Smt. Neelu Singh (Associate Prof.)

2. Smt. Sharmishtha (Assistant Prof.)

3. Post Vacant

3. **Hindi Department**

1. Dr. Rekha Chaudhary (Professor)

2. Dr. Anamika Dwivedi (Associate Prof.)

3. Post Vacant

4. Post Vacant

5. Post Vacant

4. **History Department**

1. Dr. Beena Mathur (Professor)

5. **Home Science Department (Self Finance)**

1. Post Vacant

6. **Library & Information Science**

1. Post Vacant

7. **Music Department**

1. Post Vacant

8. **Physical Education Department**

1. Dr. Sahil (Professor)

9. **Psychology Department**

1. Dr. Geeta Singh (Assistant Prof.)

2. Post Vacant

10. **Political Science Department**

1. Dr. Radhika Devi (Professor)

2. Smt. Ekta Chauhan (Assistant Prof.)

11. **Sanskrit Department**

1. Dr. Manu Arya (Assistant Prof.)

महाविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारी

कार्यालय	
श्री सुधीर कुमार	कार्यालय अधीक्षक
श्री जितेन्द्र कुमार	नैत्यिक लिपिक
श्री अशोक कुमार	नैत्यिक लिपिक
श्री वीरेन्द्र कुमार	दफ्तरी
श्री रविन्द्र कुमार	सेवक
श्रीमती सुमन देवी	सेविका
श्री अजीत कुमार	चौकीदार
श्री मोमराज	चौकीदार
श्री मोहित शर्मा	सेवक
पद रिक्त	सफाईकार
पद रिक्त	माली
पुस्तकालय	
पद रिक्त	पुस्तकालयाध्यक्ष
पद रिक्त	पुस्तकालय सहायक
पद रिक्त	पुस्तकालय परिचर
मनोविज्ञान प्रयोगशाला	
श्रीमती रेखा कुमारी	प्रयोगशाला सहायक
श्री लखनवीर	प्रयोगशाला परिचर
पद रिक्त	प्रयोगशाला परिचर
संगीत विभाग	
पद रिक्त	तबला वादक

प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश

- प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (Photostat copy) प्रवेश फार्म के साथ क्रमानुसार संलग्न करना आवश्यक है—
 1. हाईस्कूल अंकतालिका
 2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका
 3. आधार कार्ड
 4. **APAAR ID**
 5. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0)
 6. चरित्र प्रमाण पत्र
 7. आय प्रमाण पत्र (जो छात्र छात्रवृत्ति के लिए अर्ह हैं)
 8. मूल निवास प्रमाण पत्र उ0प्र0 राज्य के वे छात्र जिन्होंने इण्टरमीडिएट/स्नातक की परीक्षा अन्य राज्यों से उत्तीर्ण की है।
 9. अधिभार हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्र
 10. जाति प्रमाण-पत्र (सामान्य वर्ग के अतिरिक्त)

स्नातकोत्तर कक्षाओं (प्रथम सत्र) में प्रवेश हेतु इच्छुक प्रवेशार्थी द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त स्नातक की प्रथम, द्वितीय एवम तृतीय वर्ष अंक तालिका की स्वः हस्ताक्षरित छाया प्रति प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

- प्रवेश की घोषित निर्धारित तिथियों तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेशार्थी का प्रवेशाधिकार समाप्त हो जायेगा।
- जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किये जायेंगे। प्रमाण-पत्र के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व प्रवेश प्रोविजनल (प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अधीन) होगा। शासन द्वारा गठित स्कूटनी कमेटी के निर्णयानुसार जाति प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेश बिना कोई पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जायेगा तथा संबंधित विद्यार्थी या उसके माता-पिता या अभिभावक के विरुद्ध झूठा दावा करने के लिए अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण-पत्र नवीनतम शासनादेश संख्या के अनुरूप संलग्न करें अन्यथा मान्य नहीं होगा।
- प्रवेशार्थी की अभ्यर्थता संकाय/विषय के संदर्भ में अहस्तांतरित (Non-transferable) है।
- प्रवेश के इच्छुक प्रवेशार्थी प्रवेश के समय माइग्रेशन प्रमाण-पत्र संलग्न न करें।

अर्हता :

- स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अर्हता हेतु अभ्यार्थी का वैधानिक परिषद् द्वारा आयोजित 12 वर्ष का इण्टरमीडिएट अथवा + 2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

यदि किसी अभ्यर्थी का परीक्षाफल प्रवेश तिथि से पूर्व घोषित हो गया है तथा वह पूरक परीक्षा या रोके गये परीक्षा फल की श्रेणी में है तो वह प्रवेश के लिये अर्ह नहीं है। वह किसी भी दशा में प्रवेश के लिये पात्र नहीं होगा।

- प्रत्येक अभ्यर्थी कॉलेज कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र फोटो सहित ऑनलाइन भरकर व फीस जमाकर इसकी **Hard Copy** सम्बन्धित प्रवेश समिति को जमा करेगी। प्रवेशार्थी अपने हस्तलेख में सभी रिक्तियाँ भरेगा और प्रमाणपत्रों की स्वः हस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ संलग्न करेगा। प्रवेशार्थियों को प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। इनके बिना और इनकी स्वः हस्ताक्षरित सत्यापित प्रतिलिपियों के बिना कोई प्रवेश संभव नहीं होगा। टी.सी. तथा चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रवेश के समय फार्म के साथ लगाने होंगे।

1. कम्प्यूटरीकृत फार्म 2. Antiragging Form जो इस विवरणिका के साथ संलग्न है।

प्रवेश समितियाँ

ADMISSION COMMITTEE

Admission Co-ordinator : Smt. Neelu Singh

B.A. I + M.A. (Political Science)

1. Mrs. Neelu Singh Convener
2. Prof. Radhika Devi
3. Prof. Sahil
4. Mrs. Ekta Chauhan
5. Dr. Manu Arya

B.A. II + M.A. (Hindi)

1. Dr. Anamika Dwivedi – Convener
2. Dr. Geeta Singh

B.A. III

1. Prof. Beena Mathur – Convener
2. Prof. Rekha Chaudhary
3. Mrs. Sharmishtha

महाविद्यालय में उपलब्ध छात्रायोपयोगी सुविधाएँ

1. **परिचय पत्र**— प्रत्येक विद्यार्थी प्रवेश के समय कॉलेज से परिचय पत्र प्राप्त करेगा जिस पर अनुशासन अधिकारी द्वारा अपना फोटो सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। फीस जमा कराने के बाद छात्राएँ चीफ प्रॉक्टर श्रीमती एकता चौहान से सम्पर्क करें।
2. **चरित्र प्रमाण पत्र**— केवल उसी छात्रा को प्रदान किया जायेगा जो कॉलेज में न्यूनतम 06 माह की अध्ययन अवधि पूर्ण कर चुकी हो।
3. **राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)**— कॉलेज में NSS की दो इकाइयाँ कार्यरत हैं। इनमें प्रवेश हेतु डॉ० मनु आर्या (संस्कृत विभाग) व डॉ० रेखा चौधरी (हिन्दी विभाग) से सम्पर्क करें।
4. **रोवर्स एण्ड रेंजर्स** — R & R की दो यूनिट 'कल्पना चावला' व अपराजिता रेंजर्स दल कार्यरत हैं। जिसमें प्रवेश हेतु छात्राएँ श्रीमती एकता चौहान (राजनीति विज्ञान विभाग) व डॉ० अनामिका द्विवेदी (हिन्दी विभाग) से सम्पर्क करें।
5. **महाविद्यालय पत्रिका**— महाविद्यालय में प्रतिवर्ष 'शुभम्' पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका के सम्बन्ध में अधिक जानकारी मुख्य सम्पादिका डॉ० अनामिका द्विवेदी (हिन्दी विभाग) से की जा सकती है।
6. **पुस्तकालय, वाचनालय व बुक बैंक** — कॉलेज पुस्तकालय प्रातः 10:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक खुलेगा। सभी स्नातक व स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को पुस्तकें प्रातः 10:00 बजे से 02:00 बजे तक निर्गत-आगत (Issue-Return) की जायेंगी। प्रत्येक छात्रा प्रवेश शुल्क रसीद (मूलप्रति) तथा परिचय पत्र दिखाकर पुस्तकालय की सदस्यता ले सकती है। विद्यार्थी को पुस्तकालय से 14 दिनों के लिए निर्गत की जायेंगी। लौटाने की तिथि पर यदि पुस्तकें नहीं लौटाई जाती हैं तो प्रतिदिन प्रति पुस्तक पर विलम्ब शुल्क देना होगा। सदस्यता कार्ड अहस्तान्तरित है।
महाविद्यालय में बुक बैंक भी है जिससे निर्धन योग्य छात्राओं को दीर्घावधि के लिए नियमानुसार पुस्तकें दी जाती हैं। पुस्तकालय से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए डॉ० मनु आर्या से सम्पर्क करें।
7. **पुरातन छात्रा समिति**— कॉलेज में पुरातन छात्रा समिति है जिसकी संयोजिका श्रीमती एकता चौहान (राजनीति विज्ञान विभाग) हैं।
8. **शुल्क मुक्ति सुविधा**— निर्धन व योग्य छात्राओं को शुल्क मुक्ति सहायता प्रदान की जाती है। दो सगी बहनों के प्रवेश लेने पर एक की ही फीस माफ होगी। अधिक जानकारी के लिए छात्राएँ डॉ० अनामिका द्विवेदी से सम्पर्क करें।
9. **एन्टी रैगिंग समिति**— माननीय उच्चतम न्यायालय एवं शासन के आदेशानुसार कॉलेज में एन्टी रैगिंग समिति कार्यरत है जिसकी समन्वयक डॉ० बीना माथुर हैं।
10. **महिला अध्ययन केन्द्र**— इसकी संयोजिका डॉ० गीता सिंह (मनोविज्ञान विभाग) हैं।
11. **मेडिकल एड (Medical Aid)**— छात्राओं के लिए मेडिकल कक्ष की व्यवस्था है जिसमें स्ट्रेचर, व्हील चेयर, बेड प्राथमिक चिकित्सा किट आदि हैं। अधिक जानकारी हेतु छात्राएँ श्रीमती नीलू सिंह व श्रीमती एकता चौहान से सम्पर्क करें।
12. **कम्प्यूटर लैब**— कॉलेज में छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा के लिए एक कम्प्यूटर लैब स्थापित की गई है जिसमें विभिन्न कम्प्यूटर व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।
13. **करियर एवं प्लेसमेंट सेल**— छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देने हेतु सेल गठित है जिसकी समन्वयक श्रीमती एकता चौहान हैं।
14. **ए०के०पी० रिसर्च सेन्टर**— कॉलेज में विभिन्न विषयों में छात्राओं को शोध सुविधा उपलब्ध कराने हेतु

रिसर्च सेन्टर है जिसकी समन्वयक डॉ० रेखा चौधरी हैं।

15. **कॉलेज वेबसाइट व चैनल**— कॉलेज से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ कॉलेज की वेबसाइट akppgcollegekhurja.in पर उपलब्ध हैं। जिसकी प्रभारी डॉ० मनु आर्या हैं। कॉलेज का अपना Blog, Youtube channel, Facebook & Instagram account भी है।
16. **IIC Centre** — महाविद्यालय में एक Institute Innovation Cell है जिसकी प्रभारी श्रीमती एकता चौहान हैं जहाँ छात्राओं को अपने स्टार्ट-अप शुरू करने के बारे में जानकारी दी जाती है।
17. **NEP प्रकोष्ठ**— कॉलेज में NEP 2020 प्रकोष्ठ है जिसकी प्रभारी श्रीमती नीलू सिंह हैं।
18. **Skill Development Centre** — कॉलेज में Skill Development Centre द्वारा विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रम व स्वरोजगार कार्यक्रम कराये जाते हैं। इसकी समन्वयक श्रीमती नीलू सिंह हैं।
19. **M.I. (Muskurayega India) Centre** — महाविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय संस्था Unicef द्वारा स्थापित 'मुस्करायेगा इण्डिया सेन्टर' है जहाँ सभी की Mental Health Counseling की जाती है। इसकी प्रभारी श्रीमती एकता चौहान हैं।
20. **Online Workshop-Seminar** — महाविद्यालय में समय-समय पर Offline व Online Workshop, Seminar व व्याख्यान कराये जाते हैं। जिसकी प्रभारी डॉ० गीता सिंह (मनोविज्ञान विभाग) व डॉ० मनु आर्या हैं।
21. **Grievance Redressal Cell** - शिक्षिकाओं, कर्मचारियों व छात्राओं की समस्या का समाधान करने के लिए महाविद्यालय में एक सेल है। जिसकी प्रभारी श्रीमती नीलू सिंह व सह-प्रभारी श्रीमती एकता चौहान हैं।
22. **मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना** : महाविद्यालय में प्रतिभावान छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत IAS/PCS की कोचिंग प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए श्रीमती एकता चौहान से संपर्क करें।
23. **उन्नत भारत अभियान (UBA)** : महाविद्यालय ने उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत खुर्जा तहसील के पांच गांव इस्माइलपुर बुढ़ैना, ढांकर निजामपुर, सीकरी, धराऊ व नगला महीउद्दीनपुर को गोद लिया हुआ है जिनके विकास के लिए महाविद्यालय समय-समय पर उनकी ग्राम प्रधान व निवासियों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। अधिक जानकारी के लिए इसकी प्रभारी डॉ० रेखा चौधरी से संपर्क करें।

महाविद्यालय में दिये जाने वाले पुरस्कार व छात्रवृत्ति

निर्धन व मेधावी छात्रा को पुरस्कार

डॉ. शशिप्रभा त्यागी द्वारा प्रदत्त

कॉलेज में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को पुरस्कार

डॉ. धीरज सिंह द्वारा प्रदत्त

निर्धन छात्राओं को सहायता

डॉ. मीना त्रिपाठी व
कु. लक्ष्मी मिश्रा द्वारा प्रदत्त

वाद विवाद प्रतियोगिता
(चल वैजयन्ती) आयोजन

डॉ. पद्मा उपाध्याय

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ प्रवेश नियम (शैक्षिक-सत्र 2025-26)

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
- (क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा योग्यता क्रम सूची के आधार पर बिना प्रवेश परीक्षा के किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्राजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेंगे। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- (ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाईन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों/संस्थानों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग (दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निशक्ता, अंग-भंग आदि) हेतु कुल 5 प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 10 प्रतिशत आरक्षण ई.डब्ल्यू.एस. के लिए लागू होगा।
- (घ)(I) प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को www.ccsuniversity.ac.in पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉगइन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी। जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है। इस हेतु हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के विवरण फोटो, निवास का पता, स्वयं का मोबाईल नम्बर, स्वयं का ई-मेल, होना आवश्यक है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में मांगे गये भारांक, शैक्षिक विवरण तथा वांछित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय/संस्थान की वरीयता देना आवश्यक होगा। अन्त में आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्पूर्ण आवेदन पत्र का भली-भाँति अवलोकन कर ऑन लाईन सबमिट करना आवश्यक होगा। पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अभ्यर्थी के दिये गये मोबाइल नं. पर प्रेषित की जाती है। अपनी पंजीकरण संख्या व पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र को प्रिन्ट करके अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि शेष तो नहीं है, अन्यथा समयानुसार संशोधन नहीं करने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसी अन्य के द्वारा आन लाईन आवेदन पत्र भरवाने के कारण हुई त्रुटियों को समयानुसार पोर्टल पर संशोधन का विकल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने देने पर अभ्यर्थी द्वारा शुद्ध कर लेना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।
- (घ)(ii) शैक्षिक सत्र 2026-27 में विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी केन्द्रीयकृत वरीयता सूची तैयार नहीं की जाएगी। अतः शैक्षिक सत्र 2026-27 में विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बन्ध महाविद्यालयों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता सूचियाँ (Merits) एवं प्रतीक्षा सूचियाँ सम्बन्धित परिसर विभाग एवं महाविद्यालय द्वारा तैयार की जायेगी।
- (ङ.) विषय संयोजन आवंटित करने का अधिकार सभी नियमों का संज्ञान लेते हुए, महाविद्यालय के प्राचार्य/ उनके

द्वारा नामित प्रवेश समिति को ही होगा। विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों/संस्थानों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, अभ्यर्थी की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटियों के सम्बन्ध में 2 कार्य दिवस के अन्तर्गत प्राचार्य लॉगइन से संशोधन हो सकता है, किन्तु 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जायेगा। विषय संयोजन की सम्पुष्टि के पश्चात् विषय परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। ओपन मेरिट द्वारा बाद में प्रवेश लेने वाले, किन्तु योग्यताक्रम में श्रेष्ठ अर्ह अभ्यर्थी को उसके चयनित विषय, अनुपलब्धता की स्थिति में न मिलने पर महाविद्यालय/संस्थान दोषी नहीं होगा। महाविद्यालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि विषय संयोजन सीमित हो, जिससे रिक्त स्थान शेष न रहें।

आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मेरिट (जो पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् व पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अर्ह अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हैं) में भरे जा सकते हैं।

नोट—यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे, तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति ही माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण का दावा न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् वांछित किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर के किसी अन्य प्रदेश के बोर्ड/संस्थान से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का दावा प्रस्तुत करता है, तो उसे सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जायेगा।

(च)(i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों का अधिकतम 25 प्रतिशत सीमा तक ही होंगे, (व्यावसायिक पाठ्यक्रम में यह सीमा लागू नहीं होगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी, जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करे, तब भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2026–27 में ट्रांसजेन्डर के लिए भी प्रवेश मान्य होगा, किन्तु ट्रांसजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरुष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

(छ)(i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में स्थान होने पर माननीय कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो तो, ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार्य नहीं होगा।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण केवल उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही जनपद में स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के अभ्यर्थियों को अनुमति नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) **Inter-College** अथवा **Inter-University Transfer** केवल उन्ही छात्राओं के लिए अनुमत होगा जो पूर्व के वर्ष/वर्षों में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हों।

(v) उक्त **Transfer** केवल सत्र में 31 अगस्त तक सम्भव होगा। इसके पश्चात किसी भी **Transfer** पर विचार नहीं

किया जायेगा।

- (vi) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (vii) स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक महाविद्यालयों/संस्थानों/पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति, महाविद्यालयों/संस्थानों की अनापत्ति व पृथक जनपद होने पर ही द्वितीय वर्ष या अधिक होने पर ही अनुमन्य होगा।
- (ज) जिन अभ्यर्थियों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू.पी. बोर्ड, अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो (जैसे: सी. बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. आदि), उनके स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये मेरिट में इण्टरमीडिएट के सभी विषयों के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू.पी. बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो (जैसे: सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. आदि), किन्तु उनके सभी विषयों के योग्यता प्राप्तांक उ.प्र. बोर्ड के सम्बन्धित श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए।
- (झ) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में चार वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल होने पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
- (.) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में स्नातकोत्तर में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर स्नातकोत्तर प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर करना चाहता है, तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।
- (ट) ऐसे विद्यार्थी प्रथम वर्ष की उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे, जिन्होंने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।
- (ठ) योग्य/पात्र अभ्यर्थियों को हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि अर्हता में उल्लिखित हो, तभी अनुमन्य होगी। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ऐसी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी।

विशेष नोट :

मान्यता प्राप्त बोर्ड/(एन.आई.ओ.एस. व ए.आई.यू. पर उपलब्ध)/(यू.जी.सी. व ए.आई.यू. की वेबसाइट से उद्धृत) विश्वविद्यालय की सूची नियमावली के अन्त में दी गयी है।

- 2. ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहीं हैं। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् संज्ञान में आती है, तो उनका कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा।
- 3. महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य यदि 1(शिक्षक) : 60(विद्यार्थी) अथवा 1(शिक्षक) : 80(विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हैं, तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सेक्शन के अनुपात में सीट संख्या के सापेक्ष प्रति विषय उपलब्ध अनुमोदित शिक्षकों की सूचना विश्वविद्यालय को देंगे, माननीय

कुलपति जी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त इन निर्धारित सीटों पर प्रवेश ऑनलाईन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनके विरुद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।

4. "शासनादेश संख्या-2555/सत्तर-2-2007-2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग-2 दिनांक 25 जून, के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007-08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006-07 में निर्गत शासनादेश संख्या- 1678/सत्तर-2-2006-2(166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या-1870/सत्तर-2-2000-2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या-3371/सत्तर-2-2006-2(166)/2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जायेंगे।"
5. किसी भी अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक/स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, वह विषय इण्टरमीडिएट/स्नातक स्तर पर नहीं लिया है। इसमें मनोविज्ञान प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम होते हुए भी अपवाद होगा, जिसके स्नातक स्तर पर यह विषय होना आवश्यक नहीं होगा।

किसी भी अभ्यर्थी को बी.ए. में तीन साहित्यिक विषय अथवा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नहीं होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को गणित के बिना सांख्यिकी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, यदि माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान विषय न रहा हो, तो स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र के संयोजन का चयन करने पर बी.ए. की उपाधि प्रदान की जाएगी।

Note :- In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi the candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.

6. ऐसा विद्यार्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो, किन्तु वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर महाविद्यालय/संस्थान में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे सम्बन्धित परीक्षा एक पूर्व-विद्यार्थी (Ex-Student) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे विद्यार्थी, जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह के भारांक का दावा करने पर वरीयता सूची को आंकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक (weightage) दिए जायेंगे :-
 - (अ) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिए।
 - (ब) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय/सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति) के लिए।
 - (स) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने परास्नातक विषय में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक आनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की हो।
 - (द)(i) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "C" या "G-II" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

- (ii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "B" या "G-I" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

- (iii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 7/10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ 240 घण्टों की सेवा तथा 7/10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा 1 शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रेंजर/रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा –

- (i) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

अथवा

- (ii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने/निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

- (iii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, तृतीय सोपान/गुरुपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

- (iv) मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार, द्वितीय सोपान/ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

8. 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् जी.ओ. नं एफ. 14-3/85 (सी.पी.), दिनांक 24.04.1985 के क्रम में कुलपति जी के आदेश से सीट सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जा सकता है एवं ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देकर 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा के स्थानों पर प्रवेश हेतु, पाठ्यक्रमानुसार (व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अर्ह हो सकते हैं। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा समाप्त करनी आवश्यक होगी। जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ (I.O.A.) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/प्रदेशीय/ अन्तर्विश्वविद्यालयीय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा SAI (Sports Authority of India) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण-पत्र धारक हो।

नोट— (i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 8 अंकों तक का अधिभार ही देय होगा, (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 12 अंकों तक अधिभार दिया जा सकता है)

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

9. कोई भी विदेशी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा, जब तक कि सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान न कर दिया जाये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

10. इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी अन्य मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 या 11+1+3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10+2 या 11+1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी क्रमशः द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समान दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम

वर्ष और तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष के समतुल्य पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो। पाठ्यक्रम का सामंजस्य एलएल.बी. के प्रकरण में स्वीकार्य नहीं होगा। यह प्रवेश नियम 10 के मान्य होने की स्थिति के अधीन होगा।

- 11.(I) एम.ए. के भाषा सम्बन्धी विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत) में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर वही विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।
 - (ii) एम.ए. गैर प्रायोगिक विषय (इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र) तथा मनोविज्ञान के प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है किन्तु अर्हता सूचि के अनुसार अर्ह हैं, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है, तो योग्यता सूचि तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंको की कटौती की जायेगी।
- 12.(I) बी.ए. में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) कोई अंक नहीं घटाया जायेगा।
 - (ii) शैक्षणिक सत्र 2026-27 तक विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तर करने की स्थिति में मेरिट में लिखित विषयों के दो अध्याय प्रतिशत तथा प्रयोगात्मक विषयों के एक तिहाई प्रतिशत जोड़े जाते थे शैक्षणिक 2026-27 से युक्त बाध्यता खत्म की जाती है अतः शैक्षणिक क्षेत्र 2026-27 से विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तर करने की स्थिति में मेरिट के लिए इन अभ्यर्थियों के परीक्षा फल में उल्लेखित प्राप्त प्रतिशत को जोड़ा जाएगा।
- 13.(I) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
 - (ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकार्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।
 - (iii) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश महाविद्यालय/संस्थान में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
 - (iv) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरुद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में माननीय कुलपति/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
 - (v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार का दोषी पाये गये, किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
 - (vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :
“If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution.”
14. इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी.ए. (गृह विज्ञान)/ बी. एससी. (गृह विज्ञान) तथा बी.एससी. (कृषि) में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।
15. ऐसा अभ्यर्थी जो किसी अन्य महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।
16. ऐसा अभ्यर्थी, जो कोई ओरियन्टल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्वीकार्य

नहीं होगा, जब तक वह इस विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं करता।

17. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।
18. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।
- 19.(i) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में बी.ए. प्रथम/एम.ए. प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।
- (ii) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है एवं शासन द्वारा अधिकृत उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता प्रवेश की सूची में प्रवेश हेतु वह अभ्यर्थी बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अर्ह होगा। (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 05.06.2004 में लिए गये निर्णयानुसार)। बी.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा (प्रवेश समिति की दिनांक 28.02.2009 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार)।
20. ऐसे अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय/संस्थान के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जायेगा।
21. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।
22. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू.पी. या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माना जायेगा।
23. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान की परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय/संस्थान अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेगा।
24. कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिणियमों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।
25. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा, यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पुनः परीक्षा देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
26. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।
27. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है, तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं माना जायेगा।
28. बी0एस0सी0 (फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स विषय) विज्ञान संकाय के अंतर्गत जीव विज्ञान

विषय में 10+2 उत्तीर्ण छात्रों को क्रीड़ा संबंधी अभिलेखों के साथ 45 प्रतिशत अंक (सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग) व 40 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति / जनजाति) होने पर ही दिया जाएगा।

29. स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों यथा बी.लिब आदि में प्रवेश 10+2+3 पैटर्न के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। अतः 10+2+3 उत्तीर्ण छात्रों को ही उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाये। जिस पाठ्यक्रम विशेष के लिये पाठ्यक्रम विशेष के लिये अर्हता सूची में उल्लिखित है, मात्र उसमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे।
30. विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश में महिला अभ्यर्थिनियों को क्षैतिज (Horizontal) आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
31. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय IV के प्रस्तर-4 के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हो।
32. प्रवेश के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन किया जायेगा।
33. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों / संस्थानों में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए समान होंगे।
34. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
35. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से चार वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।
36. यदि अभ्यर्थी उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय / संस्थान की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के अन्तर्गत पत्रजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में ही उस महाविद्यालय / संस्थान अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने का आधार उनके पत्रजातों का सत्यापित न हो पाना है, तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनका नाम पुनः योग्यता सूची में आ सकता है। किसी भी तरह की त्रुटि के संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
37. विश्वविद्यालय विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 29.5.2024 के मद् संख्या-3 में लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसे छात्र / छात्राएं जो अपने प्रथम सेमेस्टर वर्ष का परीक्षा फॉर्म भरकर महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिसर के विभाग से सत्यापित नहीं कराते हैं तो उन्हें उसे पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश निरस्त माने जाएंगे।
38. समय-समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे, जो मान्य होंगे। शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही आच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।
39. छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा प्रवेशित होगा, यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, यदि वह भी समान हों, तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः A, B, C, D प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।
40. अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू.जी.सी. / आई.जी.एन.ओ.यू. तथा एन.आई.ओ.एस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मान्य तथा अमान्य विश्वविद्यालय एवं बोर्ड की सूची पुनः प्राप्त होने पर संशोधित हो सकती है।

अनुशासन सम्बन्धी निर्देश

1. यूनिफार्म में आना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में मोबाइल का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है।
3. महाविद्यालय का वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।
4. रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है।
5. भाषा की सभ्यता अपेक्षित है।
6. महाविद्यालय में बाहरी तत्वों का प्रवेश वर्जित है।
7. धूम्रपान, गुटका, पान मसाला, तम्बाकू का प्रयोग प्रतिबंधित है।
8. महाविद्यालय Single Use Plastic मुक्त परिसर है अतः इनका प्रयोग न करें।

आवश्यक सूचना

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ एवं निदेशालय के निर्देशानुसार प्रत्येक मास की 05 तारीख तक विद्यार्थियों की कक्षावार/विषयवार उपस्थिति वेबसाइट पर भेजी जानी है। अतः सभी विद्यार्थी प्रवेश के उपरान्त कक्षाओं में समय-सारणी (Time-Table) के अनुसार चयन कर अपना विषयवार नाम लिखवाएं तथा नियमित कक्षाओं में जायें। 75% उपस्थिति न होने पर विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिल सकेगी। इसके लिए विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

विशेष सूचना

1. जाँच होने तक सभी प्रवेश अस्थायी होते हैं। प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्या के पास सुरक्षित रहेगा।
2. छात्रायें प्रवेश लेते समय पाठ्य विषयों का चयन भली-भाँति सोच-विचार कर करें। विषय परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
3. प्रवेश लेने के पश्चात यदि कोई छात्रा कॉलेज छोड़ती है तो कॉलेज कार्यालय को इसकी लिखित सूचना देना तुरन्त आवश्यक है। इसके साथ ही अपना परिचय-पत्र तथा लाइब्रेरी कार्ड पुस्तकालय को लौटाना अनिवार्य है।
4. **यूनिफार्म –**
महाविद्यालय में प्रविष्ट होने वाली छात्रायें आवश्यक रूप से महाविद्यालय की निर्धारित वेश-भूषा सफेद कुर्ता, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, सफेद जूते एवं जुराब ही धारण करें एवं शरद ऋतु में मेरून कार्डिगन, मेरून स्कार्फ यूनिफार्म का अंग है। विश्वविद्यालय व इंटरनल परीक्षा समय में भी यूनिफार्म आवश्यक है।

शुल्क तालिका 2026-27

संशोधित शुल्क प्रणाली 2026-27 चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के निर्देशानुसार

शुल्क बी.ए. प्रथम वर्ष

बिना प्रयोगात्मक विषय	रु. 2009 वार्षिक
एक प्रयोगात्मक विषय	रु. 2349 वार्षिक
दो प्रयोगात्मक विषय	रु. 2689 वार्षिक
गृहविज्ञान स्ववित्तपोषित	रु. 4809 वार्षिक
गृहविज्ञान + एक अन्य प्रयोगात्मक विषय	रु. 5149 वार्षिक

शुल्क बी.ए. द्वितीय वर्ष

बिना प्रयोगात्मक विषय	रु. 1909 वार्षिक
एक प्रयोगात्मक विषय	रु. 2149 वार्षिक
दो प्रयोगात्मक विषय	रु. 2389 वार्षिक
गृहविज्ञान स्ववित्तपोषित	रु. 4609 वार्षिक
गृहविज्ञान + एक अन्य प्रयोगात्मक विषय	रु. 4899 वार्षिक

शुल्क बी.ए. तृतीय वर्ष

बिना प्रयोगात्मक विषय	रु. 1409 वार्षिक
एक प्रयोगात्मक विषय	रु. 1649 वार्षिक
दो प्रयोगात्मक विषय	रु. 1889 वार्षिक
गृहविज्ञान स्ववित्तपोषित	रु. 4109 वार्षिक
गृहविज्ञान + एक अन्य प्रयोगात्मक विषय	रु. 4349 वार्षिक

शुल्क एम.ए. प्रथम वर्ष

एम.ए. हिन्दी	रु. 2199 वार्षिक
एम.ए. राज. विज्ञान	रु. 3799 वार्षिक

शुल्क एम.ए. द्वितीय वर्ष

एम.ए. हिन्दी	रु. 1699 वार्षिक
एम.ए. राज. विज्ञान	रु. 3699 वार्षिक

नोट — स्नातक (B.A.) स्तर पर मनोविज्ञान, संगीत, शारीरिक शिक्षा व राजनीति विज्ञान प्रयोगात्मक विषय हैं।

व गृह विज्ञान स्ववित्तपोषित में है।

एम0ए0 राज0विज्ञान में प्रति सेमेस्टर रु2000 ट्यूशन फीस देय होगी।



A.K.P. DEGREE COLLEGE

AFFILIATED TO CCS UNIVERSITY MEERUT

OUR SKILL PARTNERS



- संस्कृत भारती मेरठ प्रांत ● CGCRI, KHURJA ● SUN19 FARMS
- राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बुलन्दशहर

SKILL COURSES

Certificate Course in Computer

Yoga and Correctives

Food Preservation

Life Skill & Value Education

Population & Env. Education

Tourism & Cultural Heritage

Social Work

Patrakarita

Stress Management

Sanskrit Sambhashan

The Apparel Designing

Yoga Aayurveda Varnochar

Applied Research

Beauty & Wellness

Communication Skills and Personality Dev.

MOOCS (Online Courses)

VALUE AIDED COURSES

In Ceremics with CGCRI & MSME

SELF EMPLOYMENT COURSES

with RSETI





Since 1966
ISO 9001:2015
Certified

A.K.P. DEGREE COLLEGE KHURJA

CELEBRATING DIAMOND JUBILEE
WITH WOMEN EDUCATION PAR EXCELLENCE

बुलन्दशहर जिले का एकमात्र महिला महाविद्यालय जो 1966 से
UG, PG एवं शोध उपाधि की शिक्षा प्रदान कर रहा है

60 वर्ष
की गौरवशाली
परंपरा

AKP, Khurja ही क्यों चुनें

- Higher Education upto Ph.D.
- Speciality in Skill Courses - 100% Free
- Free Coaching for Competitive Exams
- Free Self Employment Courses
- Free CGCRI Workshops
- Safe and Secured Campus
- 24hours CCTV Surveillance
- Lush Green Campus
- Open Gym & Playground
- Divyang Friendly Campus
- Well Equipped Labs
- Different Clubs like Road Safety Club
- Electoral Club
- Rover & Rangers
- National Service Schemes (NSS) including
- SDRF & SPEL Training

